पत्र संख्या–11/आ04–आ0नी0–03/2000 सा0प्र0 10190

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी विश्वविद्यालय के कुलपति,
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सचिव, बिहार, विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना।

पटना–15, दिनांक 25/07/16

विषय :– **निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत् विकलांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य निःशक्तजन सशक्तिकरण नीति के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अपने पत्रांक–802 दिनांक–13.06.2016 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 40% एवं उससे अधिक विकलांग अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क माफ करने अथवा न्यूनतम करने के बिन्दु पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त अनुरोध के आलोक में मामले की समीक्षा की गई तथा यह तथ्य विचार में लाया गया कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–6706 दिनांक–01.10.2008 द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विकलांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के लिए निर्धारित अर्हतांक के समतुल्य होगा।

उल्लेखनीय है कि बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–7 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि "किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क यदि कोई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में घटाकर ¼ कर दिया जायेगा।"

सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य निःशक्तजन सशक्तिकरण नीति, 2015 के अन्तर्गत राज्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के समतुल्य अर्थात गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई देय होगा।

संबंधित विभागों से अनुरोध है कि सरकार के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों को भी अवगत कराने की कृपा की जाय, ताकि इसका समुचित लाभ विकलांग अभ्यर्थियों को प्राप्त हो सके।

विश्वासभाजन

(राजेन्द्र राम) 25/7/2016
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–11/आ04–आ0नी0–03/2000 सा0प्र0................../ पटना–15, दिनांक................................

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:–11/आ04–आ0नी0–03/2000 सा0प्र0................../ पटना–15, दिनांक................................

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/राजकीय अभिलेखागार, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना को "अधिकार" सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।